N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0080 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/03/2025 17:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 27/03/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/03/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/03/2025 17:31:09 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** DPM BSTC COLLAGE, SARESENA ROAD SARSENA, BHARTPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VISHNU KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJENDAR KUMAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BARBARA , NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BARBARA, NADBAI, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANTOSH KUMAR		पिता:DAWARIKA PRASAD	1. HAAL SACHIV DPM BSTC COLLAGE,SARSENA ROAD SARDENA,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	MOHIT GOYAL		पिता:SITARAM GOYAL	1. HAAL LEKHA BABU DPM,BSTC COLLAGE SARSENA,ROAD SARSENA,BHARATPUR,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	15000 रुपये रिश्वती राशि	15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है मै विष्णु कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी बरबारा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर का रहने वाला हॅू। मै डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) में BSTC 1ST YEAR का छात्र हूं। मेरी उपस्थिति कम दिखाकर पूरा करने व छात्रवृत्ति सत्यापन कराने व छात्रवृत्ति दिलाने की एवज में मेरे से 25000/- रिश्वत की मांग कर रहे है। मेरे से रिश्वत राशि की मांग डायरेक्टर संतोष व प्रिसिंपल डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) जिला भरतपुर द्वारा की जा रही है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। श्रीमान जी मेरा उक्त कर्मचारी/डायरेक्टर से कोई लडाई-झगडा व रंजिश नही है व कोई लेन-देन बकाया नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी विष्णु कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी बरबारा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर मो0 [redacted] 25.03.2025 , एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 25.03.25, एसडी विश्वेन्द्र सिंह 26.03.25 , एसडी लक्की खंडेलवाल 26.03.25 । कार्यवाही पुलिस दिनांक 25.03.2025 समय 10 ए.एम.प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी बरबारा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति व फीस जमा कराने की रसीद के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मै विष्णु कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी बरबारा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर का रहने वाला हॅू। मै डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) में BSTC 1ST YEAR का छात्र हूं। मेरी उपस्थिति कम दिखाकर पूरा करने व छात्रवृत्ति सत्यापन कराने व छात्रवृत्ति दिलाने की एवज में मेरे से 25000/- रिश्वत की मांग कर रहे है। मेरे से रिश्वत राशि की मांग डायरेक्टर संतोष व प्रिसिंपल डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) जिला भरतपुर द्वारा की जा रही है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। श्रीमान जी मेरा उक्त कर्मचारी/डायरेक्टर से कोई लडाई-झगडा व रंजिश नही है व कोई लेन-देन बकाया नहीं है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरी हस्तलिखित है। मैने मेरी नियमानुसार सम्पूर्ण फीस पूर्व में जमा करा चुका हूं। मेरे से रिश्वत राशि डोनेशन के रूप में मांगी जा रही है। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 10.30 ए.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाने से श्री रवि कुमार हैडकानि नं. 52 से निकलवाकर नया मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री विष्णु कुमार को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि नं.203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी विष्णु कुमार को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री परसराम कानि नं. 203 सरकारी मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 14 एच यू 6812 से डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.00 पी.एम. पर श्री परसराम कानि नं.203 मय परिवादी श्री विष्णु कुमार के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री परसराम कानि नं.203 से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि

मैं और श्री परसराम जी आपके कार्यालय से रवाना होकर डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) पहॅुचे जहां कॉलेज के अन्दर संतोष कुमार निदेशक डीपीएम कॉलेज उपस्थित मिला जिसने डोनेशन के नाम पर मुझसे 25500 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 20500 रूपये पहली किश्त एवं 5,000 रूपये द्वितीय किश्त लेने पर सहमत हो गया इसके बाद कॉलेज से बाहर आकर मैने वॉईस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. को सुपुर्द कर दिया जिन्होने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया बाद रवाना होकर हम एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचे। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्री परसराम कानि. नं. 203 द्वारा की गई। श्री परसराम कानि. नं. 203 से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉर्डर कर चालु कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। तत्पश्चात समय 3.00 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री मेघ सिंह कानि को स्वतन्त्र गवाह को पाबन्द करने हेतु अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीरी जारी कर कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर रवाना किया गया । तत्पश्चात समय 3.30 पी.एम. पर कार्यवाही हाजा में परिवादी श्री विष्णु कुमार को रिश्वत राशि के संबध में पूछने पर बताया कि अभी मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था नही है कल सुबह रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आ जांउगा। परिवादी को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि का इन्तजाम कर कल दिनांक 26.03.2025 को सुबह 08.30 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर बाद हिदायत रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 04.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान को पाबंद करने गये कानि. श्री मेघ सिंह कानि0 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा वापस आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर पहुंचा जहां स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द करवा कर दिनांक 26.03.2025 को समय 8.30 एएम पर में उपस्थित होने की हिदायत कर वापस आया। तत्पश्चात दिनांक 26.03.25 को समय 08.40 ए.एम. पर परिवादी विष्णु कुमार उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि मै आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 15000 रूपये का इन्तजाम करके लेकर आया हूं। मेरे पास 20500 रूपये की व्यवस्था नहीं है। आरोपी को मैं 15000 रूपये देने का प्रयास करूंगा एवं आवश्यकता पडने पर 5000 रूपये फोन पे कर दुंगा जिसे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनको मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः श्री विश्वेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 32 साल निवासी गांव महुआ तहसील भरतपुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भरतपुर तथा श्री लक्की खण्डेलवाल पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद खण्डेलवाल जाति वैश्य उम्र 40 साल निवासी ई 648 रनजीत नगर पुलिस थाना कोतवाली जिला भरतपुर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भरतपुर होना बताया। जिनका कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी विष्णु कुमार से आपस में परिचय कराया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25.03.2025 को पेश की गई शिकायत को पढने को दिया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जाट उम्र 28 साल निवासी बरबारा पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 30 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 15,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन अति. पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनका नम्बरी विवरण निम्न प्रकार से है - 7QE978864, 3AV175530, 4KW959845, 3HN138696, 9QP188392, 0PL983306, 9PC608772, 4EG855975, 7BN729383, 2PT511237, 7WK902012, 5BL357464, 4GH818570, 3SR396628, 5PR633789, 9AF273678, 6WM566932, 0NE232496, 6DG811843, 3EN355827, 0PB956964, 6BM224957, 1EG030797, 1KS393104, 1AB438708, 0EU711815, 7KA457449, 0CN298677, 0UE371649, 7CG116258 उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रवि कुमार हैडकानि नं.52 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री रवि कुमार हैडकानि नं.52 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री विष्णु कुमार की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विश्वेन्द्र से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 15000/-रूपये के नोटों को श्री रवि कुमार हैडकानि नं.52 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट बांयी तरफ की पीछे की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने पहने हुए चश्मे उतारकर अपनी शर्ट से साफ करने का रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान

को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री लक्की खण्डेलवाल से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रवि कुमार हैडकानि. नं. 52 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री रवि कुमार हैडकानि नं.52 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री रवि कुमार हैडकानि. नं.52 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 10.40 एएम पर परिवादी श्री विष्णु कुमार को अपनी निजी मोटरसाईकिल से आगे आगे रवाना कर उसके पीछे श्री सुशील कुमार कानि 557, श्री दिलीप कुमार कानि 610,श्री परसराम कानि 203, श्री रितेश कुमार कानि 64, श्री गोकुलेश कानि , श्री देवेन्द्र कुमार कानि 221, श्री विनोद कुमार कानि 114, श्री सुरेश कुमार कानि 185 , श्री राजेन्द्र कानि 106 को मय सरकारी वाहन टवेरा मय श्री रोशन सिंह कानि चालक 239 के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्रीमति शगुन महिला कानि 43, श्री लोकेश कुमार कानि 85 के मय सरकारी गाडी बोलेरो मय धर्मवीर कानि चालक 337 के लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड के डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.10 ए. एम पर समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा डीपीएम कॉलेज सरसैना(हलैना) भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी के संबध में जानकारी करने के लिये कहा तो परिवादी ने जानकारी कर बताया कि आज आरोपी कॉलेज मे नहीं है वो कल कॉलेज में सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच मिल सकता है , जिस पर परिवादी के पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी हुई रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह से निकलवाकर एक खाकी कलर के लिफाफा में रिश्वती राशि व वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सरकारी गाडी के डैशबोर्ड में रखवायी गयी व परिवादी को गोपनीयता की हिदायत देकर रूखसत किया गया। मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय सरकारी गाडी बोलेरो मय धर्मवीर कानि चालक 337 के लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड व अन्य साजो सामान के डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) भरतपुर से रवाना एसीबी कार्यालय भरतपुर हुआ। तत्पश्चात समय 1.30 पी.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय सरकारी गाडी बोलेरो मय धर्मवीर कानि चालक 337 के लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी कैमरा मय मैमोरी कार्ड व अन्य साजो सामान के डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) भरतपुर से रवाना होकर एसीबी चौकी उपस्थित आया। ट्रेप बॉक्स को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. 52 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया एवं रिश्वत राशि व वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को बोलेरो गाडी के डैशबोर्ड से निकलवाया जाकर स्वतंत्र गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह से सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 27.03.25 को समय 9.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 27.03.25 को समय 9.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 10.00 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अवधेश कुमार हैडकानि. द्वारा कल दिनांक 26.03.25 को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय की आलमारी में रखवाई गई रिश्वत राशि 15,000 रूपये को हैडकानि. अवधेश के पास रखवाया जाकर श्री संतोष कुमार हैडकानि., श्री सुशील कुमार कानि 557, श्री दिलीप कुमार कानि 610,श्री परसराम कानि 203, श्री रितेश कुमार कानि 64 , श्री देवेन्द्र कुमार कानि 221, श्री विनोद कुमार कानि 114, श्री सुरेश कुमार कानि 185 , श्री राजेन्द्र कानि 106 को मय सरकारी वाहन टवेरा के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री अवधेश कुमार हैडकानि. , श्रीमति शगुन महिला कानि 43,श्री लोकेश कुमार कानि 85 के मय सरकारी गाडी बोलेरो मय धर्मवीर कानि चालक 337 के लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स मय रिश्वत राशि 15,000 रूपये, मय सरकारी कैमरा मय मेमोरी कार्ड, मय वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के डीपीएम कॉलेज सरसैना (हलैना) भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.15

ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा डीपीएम कॉलेज सरसैना(हलैना) भरतपुर से कुछ दूरी पूर्व परिवादी द्वारा बताया गये नियत स्थान पर पहुंचा जहां परिवादी श्री विष्णु कुमार उपस्थित मिला जिसने बताया कि आरोपी कॉलेज में ही बैठा हुआ है और आज वह मुझसे रिश्वत राशि ले लेगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत राशि 15,000 रूपये को श्री अवधेश हैडकानि. के पास से दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाकर दिनांक 26.03.25 को कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार की जामा तलाशी लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु होना नही पाई गई तत्पश्चात श्री अवधेश हैडकानि. द्वारा रिश्वत राशि को परिवादी के पहने हुए जींस पेंट की बांयी तरफ की पीछे की जेब में सीधे ही रखवाया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से न छुए तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने पहने हुए चश्मे उतारकर अपनी शर्ट से साफ करने का रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साथ में लाए गये पानी के कैम्पर से पानी निकालकर साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में पूर्व से एसडी कार्ड डला हुआ है को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को बाद हिदायत एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना किया जाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय वाहनों के मौके से रवाना होकर डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड सरसैना के पास पहुंचा जहां वाहनों को साइड में खडा कर परिवादी को आरोपी के पास रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री परसराम कानि., श्री दिलीप कानि. , श्री सुशील कानि. , श्री विनोद कानि. , श्रीमती सुगन महिला कानि. को रवाना किया गया मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कॉलेज परिसर के बाहर खडा हो गया , परिवादी के मुकर्रर इशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री विष्णु कुमार बिना रिश्वत राशि देने का इशारा किये हुए कॉलेज से बाहर निकलकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और बताया कि संतोष कुमार सचिव अभी खाना खा रहे हैं और मैने संतोष कुमार जी को फोन किया तो उन्होने डोनेशन के नाम सुनते ही मेरा फोन काट दिया इसके बाद रिकॉर्ड रूम से मोहित बाबू ने मुझे आवाज देकर बुलाया जिसने मुझसे डोनेशन के रूप रिश्वत के रूपये मागे इसके बाद मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वॉइस रिकॉर्डर चालू कर रिश्वत राशि देने हेतु परिवादी को बाद हिदायत डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज रवाना किया । परिवादी के रिश्वत राशि देने के मुकर्रर इशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय 12.55 पी.एम. पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री विष्णु कुमार के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के डीपीएम एसटीसी कॉलेज परिसर के मुख्य दरवाजे के अन्दर प्रवेश कर प्रथम तल पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री विष्णु कुमार उपस्थित मिले जिनसे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मोहित कुमार बाबूजी ने अभी अभी मेरे से रिश्वत के 15000 रूपये लेकर एवं गिनकर अपनी कार्य करने की टेबल की रैक में रखे बैग में रख लिये हैं जो अभी अपने कक्ष में ही बैठे हुए हैं मैं रिश्वत राशि देने के बाद सचिव कक्ष में बैठे हुए श्री संतोष जी से भी मिला हूं। इस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता व परिवादी के रिकॉर्ड रूम में पहुंचे , कक्ष के अन्दर प्रवेश किया तो सामने की कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही मोहित कुमार बाबू है जिसने मेरे से अभी अभी मेरे से मेरी उपस्थिति पूर्ण करने एवं स्कॉलरशिप दिलाने की एवज में 15,000 रूपये डोनेशन के रूप में रिश्वत के लिए हैं। उक्त राशि दिनांक 25.03.2025 को श्री संतोष कुमार सचिव द्वारा 25,500 रूपये रिश्वत की मांग करने एवं मेरे निवेदन करने पर 20,500 रूपये अभी व 5000/- रूपये बाद में लेने पर सहमत होने के बाद उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 27.03.2025 को मैं संतोष कुमार सचिव के ऑफिस में गया तो नही मिले मैंने फोन किया तो डोनेशन का नाम सुनकर मेरा फोन काट दिया इसके बाद रिकॉर्ड रूम से एक व्यक्ति ने मुझे आवाज देकर बुलाया मेरे से मेरे काम के संबंध में 15,000 रूपये रिश्वत को लेकर अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने कार्य करने की टेबल की रैक में रखे बैग के अंदर रख लिए हैं। तब मोहित गोयल बाबू ने मुझसे कहा कि संतोष सर ने तो मुझसे 20,500 रूपये की कहा है तब मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास 15,000 रूपये हैं बाकी रूपये मैने बाद में देने को कहा जिस पर मोहित गोयल बाबू ने सहमत होकर 15,000 रूपये रिश्वत के ले लिए इसके बाद मैंने अपनी बायोमैट्रिक कराने , उपस्थिति पूर्ण करने और रिलीविंग लैटर देने के लिए कहा

तो मोहित बाबू ने मुझसे रिलीविंग लैटर अभी देने और बायोमैट्रिक और उपस्थिति पूर्ण करने की बाकी रूपये देने पर करने को कहा था। इस पर कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम मोहित कुमार पुत्र श्री सीताराम गोयल उम्र 30 साल जाति वैश्य निवासी गांव ककरउआ पुलिस थाना रूदावल जिला भरतपुर हाल बाबू डीपीएम एसटीसी कॉलेज सरसैना रोड होना बताया, जिससे परिवादी विष्णु कुमार से 15,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी मोहित कुमार ने बताया कि मैं इस कॉलेज में लेखा बाबू के पद कार्यरत हूं। आज दिनांक 27.03.25 को हमारे सचिव साहब श्री संतोष कुमार जी के मोबाइल नम्बर [redacted] से मेरे मोबाइल नम्बर 8955196319 पर कॉल आया और बताया कि बाहर विष्णु कुमार बीएसटीसी प्रथम वर्ष का विद्यार्थी बैठा हुआ है जिससे पैसे ले लो । इस पर मैंने आवाज देकर विष्णु कुमार को बुलाया जिसने मुझे पांच-पांच सौ के रूपये के नोट दिये जिनको मैने मेरे दोनो हाथों से गिना तो 15,000 रूपये होना पाये गये जिनको मैने अपने कार्य करने की टेबल की रैक में रखे हुए बैग में रख लिये हैं। पैसे अभी भी बैग में रखे हुए हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वतंत्र गवाह श्री लक्की खंडेलवाल से टेबल की रैक खुलवाकर उसमें में बैग को निकालवाकर बैग को खुलवाकर चैक किया गया तो पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की दो गड्डियां दिखाई दी जिस पर एक गड्डी को बाहर निकलवाकर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल पंद्रह हजार रूपये होना पाये गये जिनके नम्बरों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से कराया गया तो नोटो के नम्बर हूबहू पाये गये। तत्पश्चात दूसरी गड्डी को निकलवाकर गिनवाया गया तो पांच-पांच सौ रूपये के 09 नोट कुल 4,500 रूपये होना पाये गये जिनके सम्बंध में आरोपी मोहित कुमार से पूछा तो बताया कि यह राशि पूर्व से ही बैग में रखी हुई है। इस पर उक्त 4,500 रूपयों को कॉलेज कर्मचारी श्री सुरेश कुमार सहायक कर्मचारी को दिये गये रिश्वत राशि 15,000 व बैग को गवाह श्री लक्की खंडेलवाल के पास सुरक्षित रखवाया गया। जिस पर आरोपी मोहित कुमार को डिटेन किया गया व उक्त कमरे के पास में स्थित कमरा जिसमें आरोपी संतोष कुमार बैठा हुआ है की निगरानी हेतु हमराही जाब्ता को कहा गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर डीपीएम एसटीसी कॉलेज में रखे हुए पानी के केम्पर से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर एवं साफ पानी मंगवाकर गिलास साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में आरोपी मोहित कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी मोहित कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात गवाह श्री लक्की खंडेलवाल के पास सुरक्षित रखे रिश्वत राशि 15,000 रूपये का पुनः मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी कार्यवाही की विडियो ग्राफी मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा विभागीय वीडियो कैमरा से करवाई गई। पांच-पांच सौ के कुल 30 नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है - 7QE978864, 3AV175530, 4KW959845, 3HN138696, 9QP188392, 0PL983306, 9PC608772, 4EG855975, 7BN729383, 2PT511237, 7WK902012, 5BL357464, 4GH818570, 3SR396628, 5PR633789, 9AF273678, 6WM566932, 0NE232496, 6DG811843, 3EN355827, 0PB956964, 6BM224957, 1EG030797, 1KS393104, 1AB438708, 0EU711815, 7KA457449, 0CN298677, 0UE371649, 7CG116258 उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उसे साफ कराकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल श्री विश्वेन्द्र सिंह से तैयार करा कर ट्रेप बॉक्स से रूई का फोआ निकलवा कर गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह से रूई के फोऐ से बैग को अंदर से पुंछवाया जाकर घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क बी -1 व बी -2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात रूई फोआ को सुखवा कर उक्त रूई फोआ व बैग जिसका अवलोकन किया गया तो बरंग काला जिसपर VEEKAY लिखा हुआ है बैग पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बैग को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "बी ' अंकित करवाकर वजह

सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय आरोपी मोहित कुमार मय स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के रिकॉर्ड रूम से निकलकर पास में स्थित सचिव कक्ष में पहुंचा जहां परिवादी ने कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ये ही डीपीएम एसटीसी कॉलेज के सचिव श्री संतोष कुमार है। जिन्होने मेरे से दिनांक 25.03.25 को मेरी उपस्थिति पूरी करने एवं स्कॉलरशिप दिलाने की एवज में डोनेशन के नाम से 25,500 रूपये रिश्वत की मांग की थी एवं मेरे निवेदन करने पर 20,500 रूपये की प्रथम किश्त एवं 5000 रूपये की द्वितीय किश्त बाद में लेने पर सहमत हुए थे। जिस पर मेरे द्वारा 20,500 के स्थान पर 15,000 रूपये की व्यवस्था होने पर आज दिनांक को मैं 15,000 रूपये लेकर डीपीएम कॉलेज पहुंचा एवं सचिव संतोष कुमार जी को फोन किया और उन्होने डोनेशन के नाम सुनते ही सचिव जी ने मेरा फोन काट दिया इसके बाद रिकॉर्ड रूम से एक व्यक्ति ने मुझे आवाज देकर बुलाया जिस पर मैने डोनेशन के रूप में मांगे गये 15000 रूपये की रिश्वत राशि मोहित गोयल को दी तब मोहित गोयल बाबू ने मुझसे कहा कि संतोष सर ने तो मुझसे 20,500 रूपये की कहा है तब मैंने कहा कि अभी तो मेरे पास 15,000 रूपये हैं बाकी रूपये मैने बाद में देने को कहा जिस पर मोहित गोयल बाबू ने सहमत होकर 15,000 रूपये रिश्वत के ले लिए इसके बाद मैंने अपनी बायोमैट्रिक कराने , उपस्थिति पूर्ण करने और रिलीविंग लैटर देने के लिए कहा तो मोहित बाबू ने मुझसे रिलीविंग लैटर अभी देने और बायोमैट्रिक और उपस्थिति पूर्ण करने की बाकी रूपये देने पर करने को कहा था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए सचिव कक्ष में बैठे हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम हंतरा पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल सचिव डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड सरसैना होना बताया जिस पर सचिव संतोष कुमार से रिश्वत राशि 15,000 रूपये के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मुझे यह ज्ञात नही था कि ये विष्णु कुमार बीएसटीसी प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का छात्र है चूंकि द्वितीय वर्ष के छात्रों से फीस कैश में ली जाती है मैंने सोचा कि उक्त छात्र अपनी फीस जमा कराने आया होगा तो मैंने अकाउटेंट श्री मोहित कुमार से फीस जमा करने की बोल दिया एवं मैंने डोनेशन के नाम पर छात्र से अवैध रूपये की कोई मांग नही की और नाही प्राप्त किये इस पर पास में खडे परिवादी श्री विष्णु कुमार ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि मैं डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज सरसैना में बीएसटीसी प्रथम वर्ष का छात्र हूं। मैंने अपने प्रथम वर्ष की फीस यूनीवर्सिटी में जमा करा दी है। मैं मेरी उपस्थिति एवं स्कॉलरशिप के लिए सचिव श्री संतोष कुमार जी से मिला तो उन्होने मेरे से उपस्थिति एवं स्कॉलरशिप के लिए 25,500 रूपये डोनेशन के रूप में मांग की जिसकी शिकायत मैंने दिनांक 25.03.25 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर की थी जिस पर आप द्वारा डोनेशन के रूप में मांगी जा रही रिश्वत का गोपनीय रूप से सत्यापन कराया गया रिश्वत मांग सत्यापन में श्री संतोष कुमार सचिव द्वारा प्रत्येक वर्ष के 25,500 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर संतोष कुमार सचिव साहब इस वर्ष के डोनेशन के 25,500 में से इस वर्ष के 20,500 रूपये डोनेशन के रूप में अभी लेने व 5,000 रूपये बाद में लेने पर सहमत हुए। इस पर आरोपी संतोष कुमार सचिव डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज को डिटेन किया गया तत्पश्चात परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी संतोष कुमार से परिवादी श्री विष्णु कुमार की उपस्थिति सम्बंधी दस्तावेज के बारे में पूछा तो उन्होने रिकॉर्ड रूम से एक फोल्डर पेश किया जिसमें 100 विद्यार्थीयों की 29 उपस्थिति शीटें है प्रत्येक शीट पर एक सप्ताह की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का ब्यौरा अंकित है जिन्हें पृथक से जरिए फर्द जब्त किया जाएगा। आरोपी मोहित कुमार लेखा बाबू ने बताया कि पूर्व में मैंने मेरा नाम मोहित कुमार बताया था जो दस्तावेजो में मोहित गोयल है। आरोपी मोहित गोयल लेखा बाबू एवं संतोष कुमार सचिव डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड सरसैना जिला भरतपुर उक्त कृत्य धारा 7,7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) एवं 61(2) बीएनएस की अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपीगणों को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 03.45 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी मोहित गोयल पुत्र श्री सीताराम गोयल उम्र 30 साल जाति वैश्य निवासी गांव ककरउआ पुलिस थाना रूदावल जिला भरतपुर हाल बाबू डीपीएम एसटीसी कॉलेज सरसैना रोड जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार से उसकी उपस्थिति कम दिखाकर उपस्थिति पूर्ण करने व स्कॉलरशिप दिलाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.25 को कॉलेज सचिव संतोष कुमार द्वारा 25,500 रूपये डोनेशन के रूप में रिश्वत की मांग कर 20,500 रूपये लेने पर सहमत होना व 5,000 रूपये बाद में देने की कहना एवं आज दिनांक 27.3.25 को अपने कॉलेज के बाबू मोहित गोयल को फोन कर डोनेशन की राशि 15,000 रूपये रिश्वत के रूप में परिवादी विष्णु कुमार को बुलाकर लेने के लिए कहने पर 15,000 रूपये डोनेशन के रूप में रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक टेक्नो कम्पनी का मोबाईल जिसमें ऐयरटेल की सिम जिनके नं[redacted] डली हुई है एवं जामा तलाशी

में कोई भी नकदी प्राप्त होना नही पाई गयी। आरोपी के मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार कॉलेज में पदस्थापित सहायक कर्मचारी श्री सुरेश कुमार को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना भी सुरेश कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.10 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी ग्राम हंतरा पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल सचिव डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड सरसैना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार से उसकी उपस्थिति कम दिखाकर उपस्थिति पूर्ण करने व स्कॉलरशिप दिलाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.25 को 25,500 रूपये डोनेशन के रूप में रिश्वत की मांग कर पहली किश्त के रूप में 20,500 रूपये लेने पर सहमत होना व 5,000 रूपये बाद में देने की कहना एवं आज दिनांक 27.3.25 को अपने कॉलेज के लेखा बाबू मोहित गोयल को फोन कर डोनेशन के रूप में रिश्वत राशि 15,000 रूपये को परिवादी विष्णु कुमार से आरोपी मोहित गोयल को दिलाने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी संतोष कुमार सचिव को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री विश्वेन्द्र सिंह से लिवाई गई तो आरोपी के पास एक वीवो 25 कम्पनी का मोबाईल जिसमें ऐयरटेल व बीएसएनएल की सिम हैं जिनके नं0 क्रमशः [redacted] एवं [redacted] डली हुई है एवं जामा तलाशी में 5,500 रूपये प्राप्त होना पाई गयी। उक्त राशि के सम्बंध में संतोषप्रद जबाव पाये जाने पर उक्त राशि व आरोपी के मोबाईल को आरोपी के कहे अनुसार कॉलेज में पदस्थापित सहायक कर्मचारी श्री सुरेश कुमार को संभलाया गया। गिरफ्तारी की सूचना भी सुरेश कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.30 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी विष्णु कुमार की उपस्थिति से सम्बंधित 100 विद्यार्थीयों की 4-4 पृष्ठ की 29 उपस्थिति शीटें पेश की प्रत्येक शीट पर एक सप्ताह की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का ब्यौरा अंकित है जिसमें परिवादी विष्णु कुमार का नाम 97 नम्बर पर अंकित है। उपस्थिति शीटों का अवलोकन किया गया तो उपस्थिति शीट पर दिनांक 5.9.24 से शुरू होकर शीट संख्या 29 दिनांक 18.3.2025 तक है व शीट नम्बर 29 पर कोई दिनांक अंकित नही है। प्रत्येक शीट के प्रथम पृष्ठ पर डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज हलेना रोड सरसैना वैर भरतपुर एसटीसी फर्स्ट ईयर सैशन 2024-2025 लिखा हुआ है एवं शीट पर 06 दिवस का विवरण दिनांक व माह के रूप में पेन से अंकित है। एवं परिवादी विष्णु कुमार प्रत्येक प्रत्येक शीट पर अनुपस्थित है। उक्त उपस्थिति शीट की कार्यवाही हाजा में वजह सबूत आवश्यकता होने पर मूल शीटों की नम्बरिंग कराई गई जों 01 लगायत 116 है। मूल शीटों के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम. पर श्री संतोष कुमार हैडकानि. , श्री विनोद कुमार कानि. , परसराम कानि., यशपाल कानि. , श्री रितेश कुमार कानि. , श्री सुशील कानि. , श्री दिलीप कानि. , श्री सुरेश कुमार कानि. , श्री राजेन्द्र कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगण संतोष कुमार सचिव एवं मोहित गोयल लेखा बाबू मय टवेरा गाडी के रवाना कर हिदायत दी गई कि आरोपीगण को पुलिस थाना मथुरागेट में बंद हवालात कराकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचे। पीछे-पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि 15,000 रूपये, धोवन की शील्ड शीशियां कुल 06 , शील्ड पैकिट 01 , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय परिवादी विष्णु कुमार मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक धर्मवीर के एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 06.45 पी.एम. पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, मय परिवादी मय ट्रेप टीम मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात के मय सरकारी गाडी बोलेरो मय चालक धर्मवीर के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा , शील्ड रिश्वत राशि व धोवन की शील्ड शीशियां , शील्ड पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश हैडकानि. को दुरूस्त हालात में संभलाई जाकर जमा मालखाना कराया गया। वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मालखाना में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 07.10 पी.एम. पर श्री संतोष कुमार हैड कानि0 मय सरकारी गाडी मय जाब्ता के आरोपीगणों को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवा कर एसीबी चौकी उपस्थित आया। तत्पश्चात समय 07.15 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.2025 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07.25 पी.एम. पर परिवादी विष्णु कुमार व आरोपी संतोष कुमार सचिव डीपीएम बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड सरसैना के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड

है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में अलग अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.40 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 25.03.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.45 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की दो सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 09.00 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 28.03.25 को समय 8.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं परिवादी श्री विष्णु कुमार को रात्रि होने के कारण कार्यालय में ही रूकने की मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 28.03.25 को समय 08.30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.40 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 27.03.2025 के मेमोरी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.50 ए.एम. पर परिवादी विष्णु कुमार से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी मोहित गोयल लेखा बाबू के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में हिन्दी रूपान्तरण तैयार किया गया। सीडी की और तीन सीडियॉ तैयार की गई। मूल सीडी एवं दो मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं दो मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में अलग-अलग रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर गये । वाईस रिकार्डर मे मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम -1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व दो मुल्जिम सीडी व मेमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 नं. 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.00 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 27.03.2025 को आरोपी मोहित गोयल व परिवादी विष्णु कुमार के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.15 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 65 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री लक्की खंडेलवाल दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी संतोष कुमार सचिव द्वारिका प्रसाद मेमोरियल (डीपीएम) बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड सरसैना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री विष्णु कुमार बीएसटीसी प्रथम वर्ष के छात्र से उसकी उपस्थिति कम दिखाकर उपस्थिति पूर्ण करने व स्कॉलरशिप दिलाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.25 को 25,500 रूपये डोनेशन के रूप में रिश्वत की मांग कर पहली किश्त के रूप में 20,500 रूपये

लेने पर सहमत होना व 5,000 रूपये बाद में देने की कहना एवं दिनांक 27.3.25 को अपने कॉलेज के लेखा बाबू मोहित गोयल को फोन कर डोनेशन के रूप में रिश्वत राशि 15,000 रूपये को परिवादी विष्णु कुमार से लेना जिस पर आरोपी मोहित गोयल लेखा बाबू को रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त दोनो आरोपीगणों के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर। .....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपी 1. श्री संतोष कुमार पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी हंतरा पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल सचिव द्वारिका प्रसाद मेमोरियल (डीपीएम) बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड़ सरसैना जिला भरतपुर, 2. मोहित गोयल पुत्र श्री सीताराम गोयल उम्र 30 साल जाति वैश्य निवासी गांव ककरउआ पुलिस थाना रुदावल जिला भरतपुर हाल लेखा बाबू (डीपीएम) बीएसटीसी कॉलेज सरसैना रोड़ सरसैना जिला भरतपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो धौलपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 441 पर अंकित है (डॉ.प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 469-72 दिनांक 29.03.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, रेंज भरतपुर, 3.अध्यक्ष पब्लिक रोज शिक्षा समिति हन्तरा (नदबई) भरतपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो भरतपुर। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/03/2025 17:[illegible]

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	18/09/1982				
2	Male	06/09/1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)